अति गोपनीय

संख्या 13/5—89–का०–1–1989

प्रेषक,

सिद्धार्थ बेहुरा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
2—समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3—शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।

लखनऊ दिनांक 6 फरवरी, 1989

विषय :—सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–1

वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–2, भाग–2 से 4 तक, में प्रकाशित मूल नियम 56–क के अधीन अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने हेतु सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग के विषय में उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 13–48–85–का०–1, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 में कतिपय मार्गदर्शन निर्देश जारी किए गए हैं।

2—स्क्रीनिंग की कार्यवाही प्रत्येक 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के संबंध में अपेक्षित है। शासन के संज्ञान में यह आया है कि उक्त प्राविधान के तहत कतिपय विभागों में 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारी/अधिकारी की स्क्रीनिंग सूची में ऐसे अधिकारी/कर्मचारी भी रूटीन ढंग से प्रतिवर्ष सम्मिलित किये जाते हैं जिनके बारे में स्क्रीनिंग कमेटी पूर्व में विचार कर अपनी आख्या दे चुकी होती है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त इस संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत किया जाना आवश्यक हो गया है।

3—इस हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रतिवर्ष ऐसे सभी कर्मचारियों/अधिकारियों की स्क्रीनिंग की जाए जिन्होंने उस वर्ष की 31 मार्च तक 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। उदाहरणतः यदि 1989 अप्रैल से 1990 मार्च, तक स्क्रीनिंग करना है तो सम्बन्धित सभी कर्मचारी/अधिकारी के मामले पर विचार हो जो 31 मार्च, 1989 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उक्त शासनादेशानुसार 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख कर यदि उसे सेवा में बनाये रखने का एक बार निर्णय ले लिया गया हो तो सामान्यतया उस सरकारी सेवक को उसकी अधिवर्षता आयु प्राप्त करने तक सेवा में बनाये रखा जाये और उसके मामले को आगामी वर्षों में सम्पन्न होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु ऐसे मामलों में भी यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में आते हैं, तो वे किसी भी समय उक्त मूल नियम–56 के तहत उक्त सरकारी सेवक को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय ले सकते हैं या यथास्थिति उसका मामला अनुवर्ती स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख सकते हैं।

4—कृपया संबंधित मामलों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,
सिद्धार्थ बेहुरा,
सचिव।

संख्या 13/5—89 (1) कार्मिक–1–1989, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। वे कृपया अपने अधीन प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी को भी तत्काल अनुपालन हेतु उपर्युक्त व्यवस्था से अवगत करा देंगे।

आज्ञा से,
जे० डी० पुरी,
संयुक्त सचिव।